

धनबाद, दिनांक 11.03.2021

सं० आरटीआई०/पॉलीसी/सेक्शन-4/21
सर्व संबंधित शाखा अधिकारी (धनबाद मंडल)
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

विषय -Third party audit of contents of information being proactive disseminated/uploaded on the website by the public authorities under section 4 of RTI Act - 2005

संदर्भ - (1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं० RTI Cell/2020/SEC.4/Nodal Officer, New Delhi dt 08.06.2020

(2) वरीय सहायक उप महाप्रबंधक सह एसीपीआईओ, महाप्रबंधक (प्रशासन)पू०म०रे०/हाजीपुर का पत्रांक ईसीआर/एडीएम/आरटीआई०/सीआईसी ट्रसपेरेंसी ऑडिट/2021, दिनांक 02.03.2021

उप महाप्रबंधक (सा०) एवं नोडल अधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर का पत्रांक ईसीआर/एडीएम/आरटीआईएक्ट 2005/पॉलीसी/2020 दिनांक 03.07.2020 के द्वारा, आरटीआई० एक्ट के धारा - 4 का अनुपालन के संबंध में, धनबाद रेल मंडल में, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था। उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय का पत्र सं० आरटीआई०/पॉलीसी/नोडल अधिकारी/2020 दिनांक 14.07.2020 के तहत, धनबाद रेल मंडल में, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) को नोडल अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, धनबाद नामित किया जा चुका है।

संदर्भित पत्र (2) वरीय सहायक उप महाप्रबंधक सह एसीपीआईओ, महाप्रबंधक (प्रशासन)पू०म०रे०/हाजीपुर का पत्रांक ईसीआर/एडीएम/आरटीआई०/सीआईसी ट्रसपेरेंसी ऑडिट/2021, दिनांक 02.03.21 एवं संलग्न अनुलग्न इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, (छायाप्रति संलग्न) जिसके अनुसार माननीय सीआईसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आरटीआई० एक्ट 2005 के धारा 4 का सभी पब्लिक ऑथोरिटी में अनुपालन हो रहा है, इसके लिए Third Party Audit कराया जाय। इसके अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा National Academy of Indian Railways, (NAIR) Vadodara, को नामित किया गया है। उक्त आरटीआई० एक्ट 2005 के धारा - 4 की छायाप्रति हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

सभी शाखा अधिकारियों/सीपीआईओ/पीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी से पुनः अनुरोध है कि आरटीआई० एक्ट, 2005 की धारा 4 का अनुपालन करते हुए एक्ट में वर्णित सभी विवरणी अपने विभाग के पोर्टल पर upload करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय एवं उसका लिंक एक सप्ताह के अंदर कार्मिक विभाग के आरटीआई० सेल में उपलब्ध कराया जाय, ताकि लिंक की सूचना मुख्यालय (हाजीपुर) के माध्यम से रेलवे बोर्ड/माननीय सीआईसी महोदय को अवगत कराया जा सके एवं Third party audit सुनिश्चित किया जा सके।

Signed by C S Azad

Date: 11-03-2021 14:00:51

Reason: Approved (सी०एस०आजाद)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल, धनबाद

प्रतिलिपि - (1) वरीय सहायक उप महाप्रबंधक सह एसीपीआईओ, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर को संदर्भित पत्र (2) के आलोक में सादर सूचनार्थ।

(2) मुख्य कार्यालय अधीक्षक (सा०) को मंडल रेल प्रबंधक, महोदय को सादर सूचनार्थ।

(3) अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा)/धनबाद को सादर सूचनार्थ।

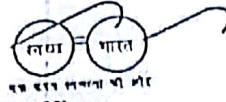
(4) अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) सह नोडल अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, धनबाद को सादर सूचनार्थ।

(5) सहायक कार्मिक अधिकारी - I, II, III एवं IV - धनबाद को सादर सूचनार्थ।

(6) विधि अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, धनबाद को सादर सूचनार्थ।



सत्यमेव जयते



भारत सरकार
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RAIL BHAVAN, NEW DELHI-110001

New Delhi, Dated 08.06.2020

No. RTI CcIV/2020/SEC.4/Nodal Officer

1. The General Managers, All Zonal Railways.
2. The General Managers, All Production Units.
3. The Managing Directors/CMDs, All Public Sector Undertakings

Sub.: Nomination of Nodal Officer on all Public Authorities & Third Party Audit of contents of information being proactively disseminated/ uploaded on the website by the public authorities under section 4 of RTI Act.

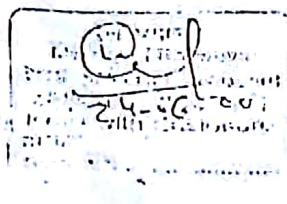
Ref.: DOP&T's OM No.1/6/2011-IR dated 15th April, 2013 & 7th Nov., 2019

Section 4 of Right to Information Act, 2005 mandatorily required all public authorities to suo-motu disseminate/publish/upload the information in public domain adequately enough so that the citizen or the information seekers have to resort minimally to the use of this Act to obtain the information supposed to be available in such form & manner be easily accessible to the public in general at large.

In order to ensure strong implementation of the various provisions under section 4 of the RTI Act, 2005, DOP&T has issued a broad & detailed guidelines directing thereby all the public authorities to nominate a Nodal officer - a Senior officer not below the rank of Joint Secretary and not below rank of Additional HOD in case of attached offices for ensuring compliance with the proactive disclosure guidelines. The Nodal Officer would work under the supervision of the Secretary of the Ministry/Department or the HOD of the attached office, as the case may be. Nodal Officers of Ministry/Department and HOD separately should also ensure that the formations below the Ministry/Department/Attached Office also disclose the information as per the proactive disclosure guideline."

3. Each Ministry/Public Authority should get its content of proactive disclosure package audited by third party. Such audit should be done annually and should be communicated to Central Information Commission through publication on their respective website annually. (Refer to Para 4.4 & 5.1 of the Guidelines-www.dopt.gov.in)

Accordingly, this Ministry has nominated the EDPG, Railway Board to act as a Nodal Officer in Railway Board and also to co-ordinate with the all other public authorities under this Ministry for nomination of Nodal Officers and all public authorities i.e. Zonal Rlys (Divisions & Workshops), PUSs & PUs are directed to undertake effective steps for expeditious nomination of Nodal Officer on respective jurisdiction to ensure implementation of guidelines as envisaged in Para 4.4 and Para 5.1 with aim to enlarge the domain of suo-motu disclosures of information by the respective public authority including Third Party Audit.



08/06
(Vivek Srivastava),
Executive Director (PG)
Railway Board

पूर्व गृह्य रेल

अनुस्मारक
अति आवश्यक
सीआईसी मागला

कार्यालय
महाप्रबंधक (प्रशासन)
पू.म.रेल/हाजीपुर

दि.02.03.2021

सं.ईसीआर/एडीएम/आरटीआई /सीआईसी द्वारापेरेंसी ऑडिट /2021.

All PHODs/CHODs/Appellate Authorities (FAAs)/PIOs in HQ
All DRMs/ADRM's/CPIO's/PIO's/ in Divisions
All CAO/CWM/CPIO/Appellate Authority in Workshop/units

विषय :Third party audit Of contents of information being proactive
disseminated /uploaded on the website by the public authorities
under section 4 of RTI Act-2005।

संदर्भ-1. रेलवे बोर्ड का पत्रांक-2021/RTI cell/2021/sec-4/Nodal officer,
dt-10.02.2021

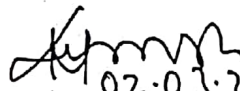
2. This office letter of even dated-06.09.2018, 31.10.2018, 03.07.2020

इस कार्यालय के संमसंख्यक पत्र दिनांक 06.09.2018 के द्वारा माननीय सीआईसी एवं रेलवे बोर्ड के
संदर्भित पत्र जिसमें आरटीआई के Section-4 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त हुआ था, जिसे
आपके पास आवश्यक कारवाई के लिए भेजा गया था। इस संबंध में रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक-10.02.21
पुनः प्राप्त हुआ जिसे आपके पास आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जा रहा है। उक्त के अनुपालन में
मुख्यालय, सभी मंडलो/यूनिटों में नोडल ऑफिसर नामित किया जा चुका है।

विदित हो कि माननीय सीआईसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आरटीआई एक्ट 2005 के धारा
4 का सभी पब्लिक ऑथोरिटी में अनुपालन हो रहा है, इसके लिए Third party audit कराया जाए।
इसके अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा National Academy of Indian Railways, (NAIR)
Vadodara, को नामित किया गया है। उक्त आरटीआई एक्ट 2005 के धारा-4 की छायाप्रति हिन्दी एवं
अंग्रेजी भाषा में आपके पास आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जा रहा है।

सभी विभागाध्यक्ष/सीपीआईओ/पीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी से पुनः अनुरोध है कि आरटीआई
एक्ट की धारा-4 का अनुपालन करते हुए एक्ट में वर्णित सभी विवरणी अपने विभाग के पोर्टल पर
upload करवाना सुनिश्चित की जाए एवं उसका लिंक इस कार्यालय को भी यथाशीघ्र भेजवाने की
व्यवस्था की जाए ताकि रेलवे बोर्ड /माननीय सीआईसी को अवगत कराया जा सकें एवं Third party
audit सुनिश्चित की जा सके।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।


02.03.2021
(नरेन्द्र कुमार)

वरिष्ठ सहायक उप महाप्रबंधक
सह एसीपीआईओ

प्रतिलिपि-1. Executive Director(PG) cum FAA/Railway Board, New Delhi for Kind
Information Please.

CHAPTER II

Right to information and obligations of public authorities

3. Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

Right to
information

4. (1) Every public authority shall—

- a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;
- b) publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act,—

- (i) the particulars of its organisation, functions and duties;
 - (ii) the powers and duties of its officers and employees;
 - (iii) the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;
 - (iv) the norms set by it for the discharge of its functions;
 - (v) the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;
 - (vi) a statement of the categories of documents that are held by it or under its control;
 - (vii) the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;
 - (viii) a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;
 - (ix) a directory of its officers and employees;
 - (x) the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;
 - (xi) the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;
 - (xii) the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;
 - (xiii) particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;
 - (xiv) details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;
 - (xv) the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;
 - (xvi) the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;
 - (xvii) such other information as may be prescribed;
- and thereafter update these publications every year;

- c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;

decisions to affected persons.

(2) It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information *suo motu* to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.

(3) For the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

(4) All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of sub-sections (3) and (4), "disseminated" means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.

5. (1) Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

Designation
of Public
Information
Officers.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be:

Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under sub-section (1) of section 7.

(3) Every Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.

(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section (4), shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be.

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं--(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी--

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों व उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर--

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड ;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(अध्याय 2—सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं)

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागस्व में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्चों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाप्राप्तियों के बारे में सम्मिलित हैं ;

(xiii) अपने द्वारा अनुवृत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुसूचित हैं तो, कार्यक्रमण घंटे सम्मिलित हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककृत्य विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा ।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध करने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो ।

(4) सभी सामग्री को, तागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में तब सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी तागत पर या ऐसी मुद्रण तागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कचना अभिप्रेत है ।

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सो दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अनिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुवेष्ट करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों ।